

-05-

**उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़  
आदेश पत्रक**

**सी०सी०ए० (प्रतिदिन थाना में हाजरी) वाद संख्या-25/2023**

**राज्य बनाम् मोनु सोनी**

आदेश की क्रम  
संख्या  
और तारीख

**आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर**

आदेश पर की गई  
कार्रवाई के बारे में  
लिपिणी तारीख

21.07.2023

-:: आदेश ::-

पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ का पत्रांक-137/डी०सी०बी०, दिनांक-04.04.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी मोनु सोनी, उम्र करीब-25 वर्ष, पे०-राजु प्रसाद सोनी, सा०-पतरातू बस्ती, थाना-पतरातु जिला-रामगढ़ के विरुद्ध झारखण्ड अपराध अधिनियम-2002 की धारा-3 (A)(B)(i)(ii) के तहत प्रतिदिन थाना में हाजरी लगाने से संबंधित प्रस्ताव अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया। अभियुक्त को उनका पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यह वाद पोषणीय नहीं है। विपक्षी किसी भी अपराधिक गुप का सदस्य नहीं है। वह एक गरीब व्यक्ति है जिसकी एक साईकिल की दुकान है। जिसको चला कर परिवारिक उत्तरदायी निभाता है। जिस केश का पुलिस के द्वारा जिक्र किया गया है, उसमें पुलिस को कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। एवं उक्त वाद में विपक्षी को Privilege of Bail प्राप्त है। इन्होंने विपक्षी के विरुद्ध झारखण्ड अपराध अधिनियम-2002 की धारा-3 (A)(B)(i)(ii) के तहत आदेश नहीं पारित करने का अनुरोध किया है।

विद्वान सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं लोक व्यवस्था, विधि व्यवस्था एवं अपराधिक गतिविधि पर पूर्णनियंत्रण तथा क्षेत्र में लोक-शांति बनाये रखने हेतु विपक्षी के विरुद्ध झारखण्ड अपराध अधिनियम-2002 की धारा-3 (A)(B)(i)(ii) के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता के बहस को सुना। पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है अभियुक्त के विरुद्ध अपराधिक इतिहास जैसे गंभीर काण्डों में आरोपित रहा है। अभियुक्त के विरुद्ध अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-

1. पतरातू थाना काण्ड संख्या-222/2022, दिनांक-06.12.2022, धारा-386/387/34 भा०द०वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट।

उक्त अपराधिक इतिहास से स्पष्ट है कि अभियुक्त के विरुद्ध कई संगीन मामले दर्ज हैं। अतः विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ के द्वारा

बहस के दौरान दिये गये मंतव्य एवं पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ द्वारा प्राप्त अनुशांसा से सहमत होते हुए विधि-व्यवस्था/लोक शांति बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कुख्यात अपराधकर्मी नागु सोनी, उम्र करीब-25 वर्ष, पे०-राजु प्रसाद सोनी, सा०-पतरातू बस्ती, थाना-पतरातू जिला-रामगढ़ के विरुद्ध झारखण्ड अपराध अधिनियम-2002 की धारा-3 (A)(B)(i)(ii) के तहत निम्न आदेश दिया जाता है :-

1. अपराधकर्मी को अगामी 06 (छः) महीने के लिए प्रतिदिन 10:00 बजे पूर्वाह्न में थाना प्रभारी पतरातू के समक्ष हाजरी लगाने हेतु आदेश दिया जाता है।
2. यदि कोई अनुज्ञप्ति (Licence) धारित शस्त्र है तो अविलम्ब उसे स्थानीय थाने में जमा करायेंगे एवं इस अवधि में किसी भी स्थिति में शस्त्र धारित नहीं करेंगे।

यह आदेश तत्काल से लागू समझा जाय। आदेश की प्रति अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को भेजें। इसी आदेश के साथ वाद निस्तार किया जाता है।

शाधवी शिथी

21.7.23

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,  
रामगढ़।